बिहार सरकार
वित्त (अंकेक्षण) विभाग
बिहार, पटना

अंकेक्षण प्रतिवेदन सं0 – 129/09–10

(क) अंकेक्षित लेखा का नाम – प्रखण्ड विकास कार्यालय सिरदला (नवादा)

(ख) अंकेक्षणान्तर्गत लेखावधि – वर्ष 2005–06 एवं 2006–07

(ग) प्रशासी विभाग का नाम – ग्रामीण विकास विभाग, बिहार पटना।

(घ) अंकेक्षणावधि में लेखा प्रभारी/पदाधिकारियों का नाम, पदनाम एवं कार्य अवधि –

(i) प्रखण्ड विकास पदाधिकारी		अवधि
श्री सत्येन्द्र कुमार मिश्रा	–	5.01.2005 से 4.11.2006 तक
श्री मो0 राजिक	–	5.11.2006 से 8.4.2007 तक
श्री अपूर्व कुमार मधुकर	–	9.4.2007 से 19.4.2007 तक
श्री हरी शंकर राम	–	20.4.2007 से अघ्तन
(ii) प्रधान लिपीक/ लेखापाल		
श्री नाथुन चौधरी	–	5.1.2005 से 31.3.2007 तक
(iii) नाजीर/भण्डार पाल		
श्री वायेज उद्दीन खाँ	–	1.4.2005 से 31.3.2007 तक

(ङ) अंकेक्षण में सहयोग देने वाले पदाधिकारी/

कर्मचारी का नाम एवं पदनाम –

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी	–	श्री हरी शंकर राम
प्रधान लिपिक/लेखापाल	–	श्री इश्वरी लाल
नाजीर	–	श्री अनिल कुमार

(च) वरीय अंकेक्षकों का नाम – (i) श्री कपिल देव प्रसाद यादव,व0 अ0 –2

(ii) श्री राजेन्द्र प्रसाद , व0 अ0 –2

(iii) श्री मो0 महूॅफज आलम, व0 अ0 –2

(छ) अंकेक्षण प्रारंभण तिथि – दि0 22.12.2009

(ज) अंकेक्षण समापन तिथि – दि0 23.02.2010

(झ) अंकेक्षण में व्यतीत कार्य दिवस – 50 कार्य दिवस।

(ञ) अंकेक्षण में प्रस्तुत/अप्रस्तुत अभिलेखों की सूची – परिशिष्ट – 'अ' पर संलग्न है ।

(ट) अंकेक्षण का क्षेत्र :–

प्रखण्ड विकास कार्यालय सिरदला (नवादा) के लेखा का अंकेक्षण विभागीय ज्ञापांक 3286 दिनांक 15.09.1960 के आलोक में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर सम्पन्न किया गया। कार्यालय द्वारा निकासी एवं जमा राशि का सत्यापन कोषागार अभिलेख के आधार पर शत–प्रतिशत किया गया एवं सही पाया गया। अन्य श्रोतों से प्राप्त राशि का सत्यापन मनी रसीद के आधार पर किया गया एवं सही पाया गया। वित्त (अंकेक्षण) विभाग बिहार–पटना का यह प्रथम अंकेक्षण है।

(ठ) प्रखण्ड कार्यालय का संक्षिप्त इतिहास :–

प्रखण्ड विकास कार्यालय वर्त्तमान में नवादा जिला में अवस्थित है। नवादा जिला मुख्यालय से लगभग 38 किलोमीटर दक्षिण–पश्चिम रजौली अनुमंडल अवस्थित है। रजौली अनुमंडल मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर पश्यिम की ओर प्रखण्ड विकास कार्यालय सिरदला अवस्थित है। यह प्रखण्ड अगस्त ,1958 से स्वतंत्ररूप से कार्यरत है। इसके पूर्व यह रजौली प्रखण्ड में सम्मिलित था। अगस्त, 1958 से अगस्त 1981 तक प्रखण्ड एवं अंचल कार्यालय एक साथ कार्यरत था। सितम्बर, 1981 से प्रखण्ड कार्यालय अलग चल रहा है। इस प्रखण्ड में कुल 15 पंचायत है। प्रखण्ड कार्यालय काफी पुराना होने के कारण भवन एवं क्षेत्रपुल काफी समृद्ध है, परन्तु पर्यवेक्षकीय पदाधिकारी, पंचायत सेवक एवं जनसेवक का काफी पद रिक्त पाया गया जिससे विकास का कार्य बाधित हो रहा है। प्रशासी विभाग का ध्यान इस ओर विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

(ड़) वित्तीय परिशंसा :–

प्रखण्ड विकास कार्यालय सिरदला (नवादा) का वर्ष 2005–06 से 2006–07 में प्राप्त आंवटन, व्यय,बचत एवं प्रत्यार्पण की विवरणी परिशिष्ट 'आ' पर द्रष्टव्य है। विवरणी के अवलोकन से परिलक्षित है कि शीर्ष 2515 'ख' सा0 वि0 के अंतर्गत वर्ष 05–06 में सभी इकाई मिलाकर कुल रू0 7,50,851=00 एवं वर्ष 06–07 के अंतर्गत कुल रू0 9,51,608.00 के बचत राशि का प्रत्यार्पण किया गया था। इससे स्पष्ट है कि बजट उपबंध हेतु काफी

बड़ी मात्रा में मनमाने ढंग से आवंटन की मांग की जाती रही है जो कि वित्तीय अनियमितता का धोतक है। अतः विभागीय उच्चाधिकारी एवं प्रशासी विभाग का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है। भविष्य में इस प्रकार की प्रवृति पर रोक लगाई जाय।

शीर्ष 2515 'ख' सा0 वि0 वर्ष 06–07 के अंतर्गत कुल रू0 9,51,608.00, शीर्ष 2053 जिला प्रशासन (राजभाषा) वर्ष 05–06 एवं 06–07 के अंतर्गत कुल रू0 2,04,064=00, शीर्ष 2505 एन0 आर0 ई0 पी0 के अंतर्गत वर्ष 06–07 में कुल रू0 2,53,163.00 एवं 2515 'क' पंचायत वर्ष 06–07 के अंतर्गत कुल रू0 30=00 का बचत दिखाई गई थी, लेकिन प्रत्यार्पण से सम्बन्धित संगत प्रतिवेदन अंकेक्षण के समक्ष नही दिखाई गई। प्रत्यार्पण के अभाव में उक्त राशि लैप्स हो गई जो कि बजट मैनुअल के नियम 111(i) B के प्रतिकूल है। इस अनियमितता की ओर प्रशासी विभाग का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

विभिन्न योजनान्तर्गत वर्ष 05–06 एवं 06–07 में प्राप्त आय एवं व्यय की विवरणी परिशिष्ट 'इ' पर द्रष्टव्य है।

अंकेक्षण के क्रम में गबन, काल्पनिक व्यय, वसूली योग्य, राजस्व की क्षति एवं आपत्तिन्तर्गत के अनेको मामले दृष्टिगोचार हुए है जिसका वर्णन आगे की कंडिकाओं में किया गया है।

रोकड़ वही विहित प्रपत्र में पाये गए किन्तु उनके संधारण में कोषागार संहिता के भाग–1 के नियम 86(i) से (iii) का पालन विधिवत नही किया गया था। रोकड़ बही में सवंरण शेष निम्न प्रकार पाया गया।

<u>दिनांक 1.4.2005 का प्रारम्भण शेष</u>

1. 2202 – शिक्षा	0=04
2. 2401 – कृषि	0=31
3. 2515 – (ख)	3,45,587=40
4. 2515 – (क)	2,94,663=00
5. 2225 – कल्याण	66,977=00
6. स्थायी अग्रिम	170=00
7. 2515 – F.F.W	13,32,111=00
8. 2515 पं0 समिति (12 वॉ वित्त)	357433=67
9. 2235 – सा0 सुरक्षा	3,92,800=00
10. 2230 – श्रम नियोजन	1,690=50
11. 2053 – जि0 प्रशासन	35=02
12. 2702 – लघु सिंचाई	88=41

13. 2505 – NREP 6000=03
14. 2225 – कल्याण (छात्रवृति) 3,94,460=00
15. DRDA – 39004=16
16. सूद – 233397=65
17. ज0 रो0 यो0 (JRY) 57089=13
18. 2015 – निर्वाचन 93092=00
19. 2245 – सहाय्य 18,335=00
20. NSAP 6,25596=50
21. SGRY -30% 3,09558=80
22. बाल समृद्धि योजना (प्रोत्साहन) 6500=00
23. IAY – इन्दिरा आ0 योजना 1066116=00
24. BMS 0=00
25. IAY – अपग्रेडेशन (इन्दिरा आ0 यो0) 5,79,000=00
26. PMGY – नवनिर्माण 2100=00
27. PMGY – अपग्रेडेशन 355500=00
28. MLA – विधायक 8,64455=00
29. MP-LAD – सासंद 24500=00
30. MLC – पार्षद 19551=00

74,85,811=62

दिनांक 31.3.2007 का संवरण शेष निम्नवत पाये गए।

1. 2202 – शिक्षा 1000=04
2. 2401 – कृषि 0=31
3. 2515 – (ख) 2,98,772=00
4. 2515 – (क) 3,78,661=00
5. 2225 – कल्याण 62,977=00
6. स्थायी अग्रिम 170=00
7. 2515 – F.F.W 57395=00
8. 2515 पं0 समिति (12 वॉ वित्त) 530584=67
9. 2235 – सा0 सुरक्षा 0=00
10. 2230 – श्रम नियोजन 1690=50
11. 2053 – जि0 प्रशासन 8639=02
12. 2702 – लघु सिंचाई 88=41
13. 2505 – NREP 0=03

14. 2225 – कल्याण (छात्रवृति) 48,690=00
15. DRDA – 1,83,534=16
16. सूद – 272789=65
17. ज0 रो0 यो0 (JRY) 57089=13
18. 2015 – निर्वाचन 1,12837=00
19. 2245 – सहाय्य 18,335=00
20. NSAP 2,36,000=80
21. SGRY -30% 4679=80
22. बाल समृद्धि योजना (प्रोत्साहन) 6500=00
23. IAY – इन्दिरा आ0 योजना 62,09,875=00
24. BMS 0=00
25. IAY – अपग्रेडेशन (इन्दिरा आ0 यो0) 19,10,084=00
26. PMGY – नवनिर्माण 102866=00
27. PMGY – अपग्रेडेशन 3,54,200=00
28. MLA – Fund 2,13025=00
29. MP-LAD – सासंद 102,700=00
30. MLC – पार्षद 71551=00
31. NREGA (नरेगा) 68,67580=00

1,8,11,2,314=52

दिनांक 01.04.05 का प्रारम्भण शेष एवं दिनांक 31.03.07 का संवरण शेष की राशि काफी दिनों के बाद व्यय की गई थी जो कि एक गंभीर वित्तीय अनियमितता का द्योतक है। अतः इस संबंध में विभागीय उच्चाधिकारी एवं प्रशासी विभाग का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

संवरण शेष में बड़ी राशि का मुख्य कारण वित्तीय वर्ष के अंतिम दिनों में बिहार कोषागार संहिता भाग–1 नियम 299 एवं 300 के विपरीत कोषागार से राशि की निकासी करना तथा विभिन्न मदों में प्राप्त राशि कोषागार में जमा नही करना था। अतः भारी राशि के जमाव पर नियंत्रण रखा जाय।

(ढ़) रोकड़ का भौतिक सत्यापन :–

वित्त (अंकेक्षण) विभागीय आदेश सं0 503 दिनांक 29.01.1976 के आलोक में अंकेक्षण प्रारम्भण तिथि 22.12.2009 को सामान्य रोकड़ बही के संवरण शेष का भौतिक सत्यापन अंकेक्षण के समक्ष कराया गया। संवरण शेष के रूप में कुल राशि 54,95,928.07 पाया गया जिसका विस्तृत विवरण निम्नवत है।

अंकेक्षण प्रारभ्मण दिनांक 22.12.2009 को रोकड़ का संवरण शेष निम्नवत था।

1.	2202 – शिक्षा	2500=04
2.	2401 – कृषि	381985=31
3.	2515 – सा0 वि0 (ख)	547873=30
4.	2515 – (ख)	375961=00
5.	2225 – कल्याण	1,12977=00
6.	स्थायी अग्रिम	170=00
7.	मध्याहन भोजन	34611=00
8.	2515 पं0 समिति (12 वॉ वित्त)	3,78920=67
9.	2235 – सा0 सुरक्षा	0=00
10.	2230 – श्रम नियोजन	1690=50
11.	2053 – जि0 प्रशासन	35=02
12.	2702 – लघु सिंचाई	88=41
13.	2505 – NREP	0=03
14.	2225 – कल्याण (छात्रवृति)	16,62654=00
15.	DRDA –	569030=16
16.	2015 – निर्वाचन	249558=48
17.	2245 – सहाय्य	18335=00
18.	NSAP	63612=50
19.	बालिका समृद्धि योजना (प्रोत्साहन)	6500=00
20.	सूद –	149512=65
21.	इन्दिरा आ0 योजना –	185727=00
22.	PMGY – अपग्रेडेशन	102866=00
23.	MP-LAD – सासंद	35634=00
24.	MLC – पार्षद	40303=00
25.	विविध / कब्रिस्तान	2,26614=00
26.	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि	234177=00
27.	MLA	114592=00
		54,95,928=07

<u>दिनांक 22.12.09 को रोकड़ की विस्तृत विवरणी :–</u>

1. भारतीय स्टेट बैंक,नवादा शाखा खाता सं0 11136925726 — 30,92,735=25

2. भारतीय स्टेट बैंक, रजौली शाखा खाता सं0 30271175241	8,21,177=00
3. पंजाब नै0 बैंक सिरदाल खाता सं0 1159	24,439=14
4. पंजाब नै0 बैंक सिरदाल खाता सं0 7933	2,98,735=00
5. मध्य बिहार ग्रा0 बैंक, सिरदला सं0 640	4,05,761=45
6. मध्य बिहार ग्रा0 बैंक, सिरदला 5758	4,579=80
7. मध्य बिहार ग्रा0 बैंक, सिरदला 6520	2,867=00
8. मध्य बिहार ग्रा0 बैंक, सिरदला 6583	4,00,804=75
9. मध्य बिहार ग्रा0 बैंक, सिरदला 6582	3,332=00
10. मध्य बिहार ग्रा0 बैंक, मुरलीडूमी C/A-01	44,392=21
11. मध्य बिहार ग्रा0 बैंक, लौन्द 2547	14,219=00
12. मध्य बिहार ग्रा0 बैंक, बरदाहा C/A 979	70008=00
13. मध्य बिहार ग्रा0 बैंक, बीजूबिगहा C/A 969	25559=30
14. मध्य बिहार ग्रा0 बैंक, मेस्कौर C/A 1077	12766=40
15. सी0 सी0 बी0 लौन्द – 01	4423=00
16. सी0 सी0 बी0 सिरदला 1382	2,07,468=00
17. डाकघर, सिरदला खाता सं0 1010939	16,887=25
18. डाकघर, सिरदला खाता सं0 1010639	776=05
	54,50,930=60
अभिश्रव के रूप में	10,63,866=54
अग्रिम के रूप में	5,00,142=13
ट्रैक्टर अडवासं	15,100=00
पूर्व नाजीर दीपक कुमार	20,000=00
पूर्व नाजीर दीपक कुमार	561=14
सिगंल लॉक	1677=66
योग –	**70,52278=07**
बैंक द्वारा समाशोधन नही होने के कारण घटायी गई राशि – (–)	1542000=00
	5510278=07
पैक्स निर्वाचन हेतु आंवटित राशि जिसे सा0 रो0 पंजी के आय पक्ष में नही लिया गया, इसे घटाया जा रहा है। (–)	14350=00
	54,95,928=07

दिनांक – 28.08.09 उल्लेखनीय है कि इन्दिरा आवास से सम्बन्धित बैंक खाता सं0 6582 (मध्य बिहार ग्रा0 बैंक सिरदला) में अंकेक्षण प्रा0 तिथि 22.12.09 को (5,03,000+3332) 5,06,332 रू0 अवशेष पाया गया।

परन्तु सम्बन्धित स0 रो0 पंजी में केवल 3332.00 रू0 ही अंकित पाया गया। शेष 5,03,000.00 रू0 बैक खाता से सहायक रोकड़ पंजी के प्राप्ति पक्ष में अंकित नही पाया गया। पदा0 द्वारा आश्वासन दिया गया कि वित्तीय वर्ष के अंतिम तिथि 31.03.10 तक स0 रो0 पंजी के प्राप्ति पक्ष में अंकित कर दिया जायेगा। दिनांक 22.12.2009 को रोकड़ के भौतिक सत्यापन की विस्तृत विवरणी को देखने से स्पष्ट इंगित हो रहा है कि असमायोजित अभिश्रव एवं असमायोजित अग्रिम के अलावा अलग से ट्रैक्टर एड़वांस एवं पूर्व नाजीर के पास अंकेक्षण अवधि के पूर्व से ही एक बड़ी रकम का पाया जाना गंभीर वित्तीय अनियमितता का दयोत्तक है। प्रशासी विभाग का ध्यान इस वित्तीय अनियमितता की ओर विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

(णा) स्वीकृत बल एवं कार्यबल :–

प्रतिवेदन के परिशिष्ट 'ई' पर दिए गए विवरणी से स्पष्ट इंगित हो रहा है कि प्रखंड विकास कार्यालय सिरदला(नवादा) के पदाधिकारी/कर्मचारियों का कुल स्वीकृत बल 56 के विरूद्ध मात्र 22 ही कार्यरत है यानि कुल 34 पद रिक्त है। प्रशासी विभाग का ध्यान इस रिक्त की ओर विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

भाग – 1

कंडिका – 2

कुल रू0 20561=14 की वसूली योग्य :–

प्रखंड विकास कार्यालय सिरदला (नवादा) के सामान्य रोकड़ पंजी की जाँच क्रम में पाया गया कि अंकेक्षण प्रारभ्मण दि0 22.12.2009 तक अंतशेष के रूप में पूर्व नाजीर श्री दीपक कुमार के नाम पर कुल रू0 20,561.14 दर्शाया गया था जो कि अंकेक्षित अवधि वर्ष 2005–06 एवं 2006–07 के पूर्व से चली आ रही थी। पूर्व नाजीर का स्थानान्तरण भी वित्तीय वर्ष 03–04 में ही प्रखंड विकास कार्यालय, सिरदला से अन्यत्र प्रखंड में किया जा चुका था। लेकिन विरमित होने के समय तक उक्त राशि की वसूली उनसे नही की गई थी। उनके अंतिम वेतन प्रमाण पत्र में बिना उक्त राशि 20,561=00 अंकित किए हुए एल0 पी0 बी0 निर्गत कर दिया गया। नियमानुसार पूर्व नाजीर के अंतिम वेतन प्रमाण पत्र निर्गत के समय उक्त राशि अंकित किया जाना चाहिए था ताकि उसकी वसूली सुनिश्चित किया जा सके। प्रखंड वि0 पदा0 के द्वारा स्पष्ट किया गया कि संबंधित नाजीर को राशि जमा करने हेतु नोटिश निर्गत किया गया है।

अतः प्रशासी विभाग के उच्च्य पदाधिकारी का ध्यान आकृष्ट करते हुए उक्त रू0 20561.14 की वसूली के लिए दोषी एवं जिम्मेवार कर्मचारियों/पदाधिकारीयों के विरूद्ध नियमानुकूल आवश्यक कार्रवाई शीध्र की जाय एवं इसकी सूचना वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को दी जाय।

कंडिका – 3

रू0 6000=00 दोहरा समायोजन दिखाए जाने के फलस्वरूप वसूली योग्य :–

शीर्ष पी0 एम0 जी0 वाई0 (नवनिर्माण) योजना के सहायक रोकड़ पंजी के योग एवं संतुलन के जाँच क्रम में पाया गया कि दिनांक 06.06.03 को विपत्र सं0 21/03–04 की कुल राशि 16,66,000=00 को आय पक्ष में लिया गया था,परन्तु वास्तविक रूप में यह राशि 16,60,000.00 ही था। इस प्रकार 16,66,000.00(–) 16,60,000.00 = रू0 6000=00 अधिक आय पक्ष में लिया गया था। इस अधिक राशि 6000=00 को दिनांक 07.06.05 को व्यय पक्ष में व्यय दिखाकर सामंजित कर लिया गया। पुनः इसी राशि को दिनांक 31.10.06 को दोबारा व्यय पक्ष में घटाकर रोकड़ पंजी के संवरण शेष को कम कर दिया गया।

निर्गत आपत्ति के उत्तर में बताया गया रू0 6000=00 का दोहरा समायोजन की वसूली हेतु संबंधित नाजीर को नोटिश निर्गत की गई है।

अतः प्रशासी विभाग का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि संबंधित दोषी व्यक्ति से राशि वसूलकर सम्बन्धित कोष में जमाकर इसकी सूचना वित्त (अंकेक्षण) विभाग को दी जाय।

कंडिका –4

रू0 2351=00 वेतन मद् में अधिक भुगतान वसूली योग्य :–

उपकंडिका –(i) रू0 1166=00 वसूली योग्य :–

शीर्ष 2515(ख) सा0 वि0 के वेतन भुगतान पंजी के जाँच क्रम में पाया गया कि वर्ष 05–06 में विपत्र सं0 75/05–06 से कतिपय कर्मचारियों को माह जनवरी –05 से फरवरी 05 तक का बकाया मंहगाई भत्ता का भुगतान दिनांक 23.01.06 को किया गया था। जब कि विपत्र सं0 141/04–05 द्वारा दिनांक 31.03.05 को पूर्व में उल्लिखित अवधि की भुगतित राशि को बिना धटाए बकाये महगाई भत्ता की अनुमान्य से अधिक राशि दिखाकर कुल रू0 1166=00 का अधिक भुगतान किया पाया गया। विवरणी परिशिष्ट 'उ' पर संलग्न है।

निर्गत आपत्ति का अनुपालन संतोषप्रद नही है। अतः सम्बन्धित कर्मी से कुल रू0 1166=00 वसूली कर संबंधित कोषागार में जमा की जाय एवं इसकी सूचना वित्त (अंकेक्षण) विभाग को भी दी जाय।

(ii) रू0 165=00 वसूली योग्य :–

शीर्ष 2515(क) पंचायत स्थापना के वेतन भुगतान पंजी के जाँच क्रम में पाया गया कि वर्ष 05–06 में श्री कुलदीप दास, पं0 से0 को माह जुलाई, 05 से नबम्वर' 05 तक के

वेतन मद में मंहगाई भत्ता मद् में अनुमान्य से अधिक राशि अंकित कर कुल रू0 165=00 विपत्र सं0 63 एवं 64/05–06 द्वारा दिनांक 04.01.06 को भुगतान किया पाया गया। विवरणी परिशिष्ट 'ऊ' पर संलग्न ।

निर्गत आपत्ति का अनुपालन संतोषप्रद नही है। अतः सम्बन्धित कर्मी से रू0 165=00 वसूल कर कोषागार में जमा कर इसकी सूचना वित्त (अंकेक्षण) विभाग को भी दी जाय।

(iii) रू0 1020=00 वसूली योग्य :–

शीर्ष 2505 एन0 आर0 ई0 पी0 के वेतन भुगतान पंजी के जाँच क्रम में पाया गया कि श्री अरविन्द विद्यार्थी, कनीय अभियंता द्वारा सरकारी आवास में रहते हुए भी अनके वेतन से माह मार्च 06 से दिसम्बर '06 तक मकान किराया @ 102x10=1020.00 रूपए की कटौती नही की गई थी, जो कि भवन निर्माण (आवास विभाग) बिहार, पटना के पत्रांक 189/ भ0 दिनांक 24.11.90 के प्रतिकूल है।

निर्गत आपत्ति के अनुपालन में बताया गया कि संबंधित कर्मी से वसूली हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। उत्तर संतोषप्रद है। विवरणी परिशिष्ट 'ए' पर संलग्न है।

अतः संबंधित कर्मीयों से कुल रू0 1166=00+ 165=00 +1020=00 =2351=00 वसूली कर कोषगार के सम्बन्धित शीर्ष में जमा की जाय एवं इसकी सूचना वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार पटना को दी जाय।

कंडिका –5

कुल रू0 7,62,275=00 अभिकर्त्ताओं से वसूली योग्य :–

(i) रू0 4,54,940=00 का सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस0 जी0 आर0 वाई) 30 प्रतिशत के अन्तर्गत अग्रिम स्वरूप भुगतान की गई राशि वसूली योग्य :–

सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 30 प्रतिशत के योजना पंजी एवं संबंधित अभिलेखों के जाँच क्रम में पाया गया कि वर्ष 05–06 में स्वीकृत योजनाओ मे से कुल 68 योजनाओं का कार्य अभिकर्त्ताओं द्वारा शुरू भी नही किया गया, जबकि अभिकर्त्ताओं को कार्य प्रारभ्भण हेतु प्रथम अग्रिम का भुगतान किया जा चुका था और न ही उनके द्वारा अग्रिम की राशि की वापसी की गई, योजना पंजी के अनुसार कार्य पूर्ण करने की अवधि भी समाप्त हो चुकी है।

योजना पंजी एवं सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि अभिकर्त्ताओं द्वारा लिए गए अग्रिम के विरद्ध कार्य प्रारभ्भ नही कराया गया। कार्य से संबंधित मापी पुस्त अंकेक्षण के समक्ष प्रस्तुत नही किया गया। इस सम्बन्ध में कार्यालय स्तर से भी कोई नोटिश या कार्रवाई भी नही किया पाया गया।

जाँच क्रम में यह भी पाया गया कि जिन्हें अग्रिम दिया गया था, उनमें से कुछ अभिकर्त्ताओं का दूसरे कार्यालय में स्थानान्तरण भी हो चुका है। जैसे अभिकर्त्ता श्री गुरूचरण चौधरी ,बिन्देश्वर राम, सुमन्त कुमार एवं इन्द्रदेव दास सभी कर्मी (भी0 ई0 डब्लयू) आदि का स्थानान्तरण भी हो चुका है। नियमानुसार वैसे कर्मी (अभिकर्त्ता) को विरमित करने से पूर्व उनसे अग्रिम की राशि की वसूली की जानी चाहिए थी या उन्हे कार्य पूर्ण करने हेतु आदेश दिया जाना चाहिए था। विवरणी परिशिष्ट 'ऐ' पर संलग्न है।

निर्गत आपत्ति के अनुपालन में बताया गया कि संबंधित अभिकर्त्ताओं को नोटिश निर्गत कर वसूली हेतु आवश्यक कार्रवाई की जायेगी। इस प्रकार कुल रू0 4,54,940=00 संबंधित अभिकर्त्ताओं से वसूल कर संबंधित शीर्ष में जमा कर इसकी सूचना वित्त (अंकेक्षण) विभाग को दी जाय।

(ii) कुल रू0 3,07,335=00 का एकादश एवं द्वदश वित्त (आयोग) योजनान्तर्गत अग्रिम स्वरूप भुगतान की गई राशि वसूली योग्य :—

एकादश एवं द्वादश वित्त आयोग योजनान्तर्गत विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु अभिकर्त्ताओं को वर्ष 05—06 एवं 06—07 में प्रथम एवं द्वितीय (आंशिक योजनाओं में) किश्त के रूप में अग्रिम का भुगतान किया गया था। विस्तृत विवरण परिशिष्ट 'ओ' संलग्न हैं।

उक्त योजनाओ से संबंधित योजना पंजी एवं योजना अभिलेख के जाँच क्रम में पाया गया कि अभिकर्त्ताओ द्वारा लिए गए अग्रिम के विरूद्ध अदयतन कार्य प्रारभ्भ नही कराया गया। अगर कार्य प्रारभ्भ कराया जाता तब कार्य से संबंधित मापी पुस्त अंकेक्षण के समक्ष प्रस्तुत किया जाता। कार्यालय स्तर से इस सम्बन्ध में कोई सूचना या आवश्यक कार्रवाई नही किया जाना शिथिलता का परिचायक है। ऐसी स्थिति में उक्त योजनाओं मे अभिकर्त्ताओं द्वारा ली गई अग्रिम राशि के दुरूपयोग की संभावना से इन्कार नही किया जा सकता।

निर्गत आपत्ति के अनुपालन में बताया गया कि एकादश एंव द्वादश वित्त आयोग के अंतर्गत सभी अभिकर्त्ताओं से योजना को पूर्ण कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जायेगी। योजना पूर्ण नही होने की स्थिति में अभिकर्त्ताओं से वसूली की कार्रवाई की जायेगी। अनुपालन संतोषप्रद नही है।

अतः प्रशासी विभाग के उच्चस्थ पदाधिकारियों का ध्यान इस बिन्दु की ओर विशेष रूप से आकृष्ट करते हुए उप कंडिका (i) एवं (ii) में वर्णित कुल राशि 7,62,275=00 संबंधित अभिकर्त्ताओं से वसूल कर उचित शीर्ष में जमा कर इसकी सूचना वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को भी दी जाय।

<u>कंडिका —6</u>

<u>कुल रू0 2879.40 का व्यय आपत्ति अन्तर्गत :—</u>

<u>(i) रू0 379.40 ईधन मद में व्यय आपत्ति अन्तर्गत :—</u>

शीर्ष 2515(ख) सा0 वि0 के अंतर्गत ईधन क्रय से सम्बन्धित अभिश्रवों के जाँच क्रम में पाया गया कि विपत्र सं0 109/05—06 के अभिश्रव सं0 4241 दि0 30.03.05 से कुल

रू0 379=40 का ईधन क्रय किया गया था जिसका भुगतान 31.03.06 को किया गया था विवरण निम्न वत है।

अशोक औटो	— डीजल	— 10 ली0 @ 28.44	=284.40
मोबाइल फतेहपुर मोड़	स्प्राइड	— 1 ली0 @ 95=00	= 95.00
(नवादा)			**379.40**

उक्त अभिश्रव से स्पष्ट नही है ईधन का क्रय किस गाड़ी हेतु किया गया था। तेल प्राप्ति स्वरूप चालक का हस्ताक्षर भी नही था। अभिश्रव बिहार सरकार के नाम पर था, जिसका कोई औचित्य नही है। ऐसी स्थिति में ईधन क्रय का सत्यता प्रमाणित नही होती है।

निर्गत आपत्ति के द्वारा उक्त क्रय के सत्यता जाँच हेतु वांछित अभिलेख/साक्ष्य यथा लौग बुक अंकेक्षण में उपलब्ध कराया जाय, ताकि क्रय के औचित्य की स्थिति स्पष्ट हो सके। अन्यथा वांछित साक्ष्य के अभाव में ईधन क्रय पर किया गया उक्त व्यय वसूलनीय होगा। अनुपालन में बताया गया कि इस सम्बन्ध में छान–बीन कर आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

(ii) रू0 700=00 खाद्यान परमिट पर मुद्रण व्यय आपत्ति अन्तर्गत :–

शीर्ष 2515 'ख' सा0 वि0 के अंतर्गत कार्यालय व्यय से सम्बन्धित अभिश्रवों के जाँच क्रम में पाया गया कि अभिश्रव सं0 4353 दि0 11.01.06 से मे0 जयमाता दी स्क्रीन प्रिंटिंग प्रेस सिरदला से 2000 पीस खाद्यान् परमिट कुल रू0 700=00 का क्रय किया गया था, जिसका भुगतान विपत्र सं0 123/06–07 से दिनांक 26.03.07 को किया गया था। उक्त क्रय हेतु किसी प्रकार का कोई अभियाचना नही था, और न ही किसी सक्षम पदा0 का आदेश प्राप्त था। साथ ही अभिश्रव पर लिप्त लेखन कर मात्रा को 1000 से 2000 अंक कर दिया गया था दर का कोई जिक्र अभिश्रव पर नही था। अभिश्रव पर भंडार पंजी में प्रविष्टि का प्रमाण पत्र भी अंकित नही पाया गया।

ऐसी स्थिति में खाद्यान् परमिट मुद्रण पर किया गया व्यय संदिग्ध प्रतीत होता है। इस सम्बन्ध में निर्गत आपत्ति द्वारा संबंधित अभिलेख/भंडार पंजी अंकेक्षण में उपलब्ध कराने की माँग की गई की ताकि व्यय के औचित्य की स्थिति स्पष्ट हो सके अनुपालन संतोषप्रद नही है।

(iii) रू0 1800=00 आपत्ति अन्तर्गत :–

शीर्ष 2515 (क) पंचायत निर्वाचन के सहायक रोकड़ पंजी के जाँच क्रम में पाया गया कि दिनांक 8.12.06 को पंचायत निर्वाचन हेतु ट्रैक्टर अग्रिम के रूप में विभिन्न वाहन मालिकों एवं चालकों को भुगतान स्वरूप कुल रू0 1800=00 का व्यय सहायक रोकड़ पुस्त में अंकित पाया गया पूर्ण विवरण निम्नवत है।

शीर्ष	विपत्र सं0 भुगतान तिथि	भुगतान पाने वाले का नाम	अग्रिम भुगतान की राशि	अभयुक्ति
2515 (क)	82/06–07	श्री सुरेन्द्र यादव	300=00	बरदाहा

पं0 नि0	08.12.2006			
		श्री सुबोध वर्मा	300=00	साँढ़
		श्री अनुज कुमार	300=00	लौद
		श्री अशोक चौधरी	300=00	गोविन्द पुर
		मा0 हैदर अली	300=00	बरदाहा
		श्री अशोक कुमार	300=00	नावाड़ीह

1800=00

उक्त अग्रिम भुगतान से सम्बन्धित कोई भुगतान पंजी एवं अलग से कोई पावती रसीद अंकेक्षण के समक्ष उपलब्ध नही कराये जाने से भुगतान की सत्यता की जाँच नही की जा सके।

निर्गत आपत्ति के अनुपालन बताया गया कि पावती रसीद प्राप्त करने हेतु पूर्व नाजीर से सम्पर्क कर प्राप्ति रसीद अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दी जायेगी।

अतः उप कंडिका (i) +(ii) +(iii) की कुल व्यय राशि 2879=40 की सक्षम पदाधिकारी जाँच कराकर वस्तु स्थिति से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को सूचित किया जाय। जाँच तक कुल व्यय को आपत्ति अन्तर्गत रखा जाता है।

कंडिका –7

रू0 424=00 वसूली योग्य :–

एस0 जी0 आर0 वाई 30 प्रतिशत के योजना अभिलेख की जाँच में पाया गया कि यो0 सं0 127/04–05 (अमझरी के पफ चौबे पैन में साइड़वाल निर्माण) के प्राक्कलित राशि 99,900.00 के विरूद्ध रू0 99,877.00 का अंतिम भुगतान दि0 11.05.06 को अभिकर्त्ता श्री सुमेश्वर कु0 मेहता V.E.W को किया गया था। उक्त योजना के मास्टर रौल के जाँच में पाया गया कि वास्तविक योग से अधिक योग दिखाकर रू0 424.00 का भुगतान किया गया था। जिसका विवरण निम्नवत है।

क्र0 सं0	कार्य अवधि	मास्टर रौल में दिखाया गया योग।	वास्तविक योग	अन्तर राशि
1	21.12.04 से 28.12.04	8332.00	8120.00	212.00
2	28.12.04 से 03.01.05 तक	8332.00	8120.00	212.00

16664.00 (–) 16240.00 = 424

उक्त विवरणी से स्पष्ट है कि मास्टर रौल में वास्तविक योग से अधिक योग दिखाकर रू0 424.00 का अधिक भुगतान किया गया था। अन्यथा अभिकर्त्ता को रू0 99877.00 के विरूद्ध रू0 99,453.00 का ही भुगतान होता।

निर्गत आपत्ति के अनुपालन में स्पष्ट किया गया कि संबंधित अभिकर्त्ता /कर्मी से वसूली हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

अतः उक्त राशि 424.00 संबंधित जबावदेह व्यक्ति से वसूल कर सम्बन्धित कोष में जमा किया जाय एवं इसकी सूचना वित्त (अंकेक्षण) विभाग को भी दी जाय।

कंड़िका –8

रू0 3050=00 का भुगतान आपत्तिन्तर्गत :–

शीर्ष 2515 ''ख'' सा. वि. के अन्तर्गत कार्यालय व्यय से संबंधित अभिश्रवों की जाँच में पाया गया कि फोटोस्टेट के नाम पर एक मोटी रकम का व्यय दिखाया गया था जिसकी विवरण निम्नवत है।

विपत्र सं0 भुगतान तिथि	अभिश्रव सं0 एवं दिनांक	फर्म का नाम	सामान	मात्रा	राशि
124/06–07 26.03.07	4460 – 21.6.06	दीपम फोटो स्टेट सिरदला	छाया प्रति	550 पीस	550.00
124/06–07 26.03.07	4461 – 20.6.06	नालन्दा फोटो स्टेट (नवादा)	अभिलेख एम0 बी की छाया प्रति	475 पीस	475.00
124/06–07 26.03.07	4462 – 20.6.06	नालन्दा फोटो स्टेट (नवादा	अभिलेख एम0 बी की छाया प्रति	525 पीस	525.00
124/06–07 26.03.07	4463 – 20.6.06	नालन्दा फोटो स्टेट (नवादा	अभिलेख एम0 बी की छाया प्रति	575 पीस	575.00
124/06–07 26.03.07	4465 – 20.6.06	नालन्दा फोटो स्टेट (नवादा	अभिलेख एम0 बी की छाया प्रति	500 पीस	500.00
124/06–07 26.03.07	4466 – 20.6.06	नालन्दा फोटो स्टेट (नवादा	अभिलेख एम0 बी की छाया प्रति	425 पीस	425.00
				3050 पीस	**3050.00**

उक्त व्यय से संबंधित किसी प्रकार का अभियाचना नही था। अभिश्रव से यह भी स्पष्ट नही था कि किस प्रयोजन हेतु कौन से अभिलेख एक एम0 बी0 की छाया प्रति कराया गया। इसके लिए सक्षम पदा0 का किसी प्रकार का आदेश भी अंकेक्षण का उपलब्ध नही काराया गया। ऐसी स्थिति में फोटो स्टेट के नाम पर दिखाया गया व्यय संदिग्ध प्रतीत होता है।

निर्गत आपत्ति का अनुपालन में संतोषप्रद नही है।

अतः प्रशासी विभाग के उच्चस्थ पदा0 का ध्यान आकृष्ट करना है कि मुख्य बिन्दुओं का बिन्दुवार जाँच कर इसके प्रतिफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को अवगत कराया जाय अन्यथा की स्थिति में उक्त व्यय को काल्पनिक /संदिग्ध व्यय मानकर सबंधित /जबावदेह व्यक्ति /व्यक्तियों से वसूलनीय होगा। तत्काल उक्त व्यय का आपत्तिन्तर्गत रखा जाता हैं।

कंडिका – 9

रू0 53,607=22 का व्यय आपत्तिन्तर्गत :–

शीर्ष 2515 'ख' सा0 वि0 के अंतर्गत ईधन क्रय से संबंधित अभिश्रवों की जाँच में पाया गया कि कुल रू0 53,607.22 का ईधन क्रय विभिन्न सरकारी गाड़ी हेतु व्यय किया गया था। विस्तृत विवरणी परिशिष्ट 'औ' पर द्रष्टव्य। उक्त अभिश्रवों से किए गए ईधन क्रय की मात्रा एंव यात्रा का प्रयोजन का सत्यापन एंव औचित्य की जाँच गाड़ी के लौग बुक के अभाव में सम्पन्न नही की जा सकी।

निर्गत आपत्ति के अनुपालन में बताया गया कि ईधन से संबंधित गाड़ी का लौग बुक BHY – 1689 अभी उपलब्ध नही इसे अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत कर ही जायेगी।

अतः प्रशासी विभाग अपने स्तर से जाँच पड़ताल कराकर इसके प्रतिफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग बिहार पटना को अवगत कराया जाय, तत्काल उक्त राशि ईधन व्यय के नाम पर रू0 53607.22 का व्यय आपत्तिन्तर्गत रखा जाता है।

कंडिका – 10

रू0 16680=00 का व्यय आपत्तिन्तर्गत :–

शीर्ष 2515 'ख' सा0 वि0 एक शीर्ष 2015 निर्वाचन से संबंधित अभिश्रवों के जाँच क्रम में पाया गया कि कुल रू0 16,680.00 का लेखन एवं अन्य सामग्रियों का क्रय किया गया था, जिससे संबंधित भंडार पंजी अंकेक्षण में उपलब्ध नही कराये जाने के कारण क्रय किए गए सामानों की मात्रा की प्रविष्टि एवं उसके खपत की जाँच नही की जा सकी। बिहार वित्तीय नियमावली भाग–1 के नियम 132 एवं बिहार वित्त संशोधन नियमावली 2005 के अनुसार प्राप्त सामग्रियों की प्रविष्टि संबंधित भंडार पंजी में अंकित करना अनिवार्य है। परन्तु उक्त कार्यालय द्वारा ऐसा नही किया पाया गया। विवरण परिशिष्ट 'अ' पर द्रष्टव्य।

निर्गत आपत्ति के अनुपालन में बताया गया कि पूर्व नाजीर एवं संबंधित कर्मी से आवश्यक पूछ–ताछ कर भंडार पुस्त अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दी जायेगी । वर्त्तमान में नियामानुकूल प्रविष्ट की जा रही हैं। तत्काल उक्त व्यय की राशि 16680.00 को आपत्तिन्तर्गत रखी जाती है।

अतः प्रशासी विभाग द्वारा अपने स्तर से जाँचोपारन्त क्रय किए सामानों की भण्डार प्रविष्टि कर ली गई है तथा प्रतिफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को भी अवगत कराया जाय।

<u>कंड़िका –11</u>

<u>रू0 15,45,140=00 का व्यय आपत्तिन्तर्गत :–</u>

प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार योजना (पी0 एम0 जी0 वाई) के अंतर्गत विभिन्न योजना हेतु अभिकर्त्ताओं को योजना पूर्ण कराने के उपरान्त प्राक्कलित राशि के विरूद्ध अंतिम रूप से पूर्ण भुगतान किया जा चुका था। विवरणी परिशिष्ट 'अः' पर संलग्न है।

परन्तु उक्त योजना से संबंधित योजना अभिलेख एवं मापी पुस्त अंकेक्षण में प्रस्तुत नही होने के कारण उक्त योजनाओं के कार्यान्वयन एवं उसमें किए गए कार्य तथा उस पर दिखाए गए व्यय एवं औचित्य की जाँच नही की जा सकी।

निर्गत आपत्ति के अनुपालन बताया गया कि प्राक्कलित राशि के विरूद्ध कार्य पूर्ण होने के पश्चात् अंतिम भुगतान कर दिया गया है। जहाँ तक मापी पुस्त एवं योजना अभिलेख प्रस्तुत करने का प्रश्न है कि इस सम्बन्ध में पूर्व के कर्मियों से अभिलेख प्राप्त कर अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दी जायेगी।

अतः प्रशासी विभाग का ध्यान इस ओर आकृष्ट करते हुए कहना है कि अपने स्तर से अभिलेख एवं मापी पुस्त का जाँच कराकर इसके प्रतिफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को अवगत करा दिया जाय। तत्काल उक्त राशि 15,45,140=00 के व्यय को आपत्तिन्तर्गत रखा जाता है।

<u>कंडिका –12</u>

<u>रू0 31,560=00 का व्यय आपत्तिन्तर्गत :–</u>

विभिन्न शीर्षो के सहायक रोकड़ पंजी के जाँच क्रम में पाया गया कि शीर्ष 2515'ख' एवं 2505 (एन0 आर0 ई0 पी0) के अंतर्गत कतिपय कर्मियों को यात्रा भत्ता भुगतान की राशि का व्यय विभिन्न तिथियों में दिखाया गया था। विस्तृत विवरणी परिशिष्ट 'क' पर द्रष्टव्य।

उक्त मद में दिखाने गए भुगतान के सत्यता एवं यात्रा– भत्ता पर दिखाये गए व्यय के औचित्य के जाँच एवं सत्यापन हेतु संबंधित भुगतान पंजी एवं यात्रा–भत्ता विपत्रों के कार्यालय प्रति अंकेक्षण में उपलब्ध नही कराया गया। जिससे भुगतान की सत्यता की जाँच एवं यात्रा–भत्ता पर किए गए व्यय के औचित्य की जाँच नही की जा सकी।

निर्गत आपत्ति के अनुपालन में बताया गया यात्रा–भत्ता मद् में भुगतान किए गए कुल रू0 31560.00 से संबंधित भुगतान पंजी एवं यात्रा–भत्ता कार्यालय प्रति अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दी जायेगी।

इस सम्बन्ध में प्रशासी विभाग का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट करना है कि संबंधित कर्मियों को भुगतान से संबंधित पावती रसीद एवं यात्रा–भत्ता की कार्यालय प्रति की अपने

स्तर से जाँच कराकर इसके प्रतिफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग बिहार पटना को अवगत कराया जाय, तत्काल पावती रसीद एवं यात्रा–भत्ता के कार्यालय प्रति के अभाव में रू0 31,560=00 के व्यय को आपत्तिन्तर्गत रखा जाता है।

कंडिका–13

रू0 12,13,822.00 व्यय आपत्तिन्तर्गत :–

एस0 जी0 आर0 वाई0 30 प्रतिशत से संबंधित योजनाओं के अभिलेखों के जाँच क्रम में पाया गया कि अभिकर्त्ताओं द्वारा प्रस्तुत अभिश्रव/मास्टर रौल को पारित किए बिना ही अंतिम भुगतान कर दिया गया था। अभिकर्त्ताओं द्वारा प्रस्तुत अभिश्रव/मास्टर रौल कुल रू0 12,13,822.00 का था, जिसे तत्कालीन प्र0 वि0 पदा0 द्वारा पारित नही किया गया था। विस्तृत विवरणी परिशिष्ट 'ख' पर द्रष्टव्य।

ऐसा प्रतीत होता है कि कार्यालय द्वारा अभिश्रव/मास्टर रौल का महत्व नही दिया गया था, इसलिए उसे पारित किए बिना ही अभिकर्त्ताओं को अंतिम रूप से भुगतान कर दिया गया था।

निर्गत आपत्ति के अनुपालन में बताया गया कि कुल रू0 12,13,822.00 विभिन्न योजनाओ से एवं संबंधित अभिश्रव बिना पारित किए किस परिस्थिति में अभिकर्त्ताओं को अंतिम रूप से भुगतान कर दिया गया था इस संबंध में तत्कालीन पदाधिकारी/कर्मचारी/अभिकर्त्ताओं से आवश्यक पूछ–ताछ कर ,आवश्यक कार्रवाई की जायेगी। उत्तर संतोषप्रद है।

अतः प्रशासी विभाग के उच्चस्थ पदा0 का ध्यान इस बिन्दु एवं अनियमिताओं की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि अपने स्तर से तत्कालीन प्र0 वि0 पदा0 से बिना पारित किए अभिश्रव/मास्टर रौल को पारित कराया जाय, अन्यथा पारित नही होने की स्थति में संबंधित/उत्तरदायित्व व्यक्ति /व्यक्तियों से राशि वसूलनीय होगी। तत्काल उक्त राशि 12,13,822.00 के व्यय को आपत्तिन्तर्गत रखा जाता है।

कंडिका–14

कुल रू0 2045.85 का प्राक्कलन से अधिक कार्य पर किया गया व्यय आपत्तिन्तर्गत :–

विधायक योजनान्तर्गत योजना अभिलेख एवं मापी पुस्त की जाँच मे पाया गया कि यो0 सं0 20/04–05 (ग्राम खजपुरा के ढाव हरिजन टोली में ईट शोलिंग कार्य) के अंतर्गत अभिकर्त्ता श्री उमेश प्रसाद भी0 ई0 डब्ल्यू द्वारा प्राक्कलित राशि 50,000=00 के विरूद्ध कुल रू0 49959.00 का कार्य कराया गया था, जिसके लिए रॉयल्टी एवं बिक्री कर की राशि 2159=00 की कटौती कर कुल रू0 47800=00 का अंतिम भुगतान दि0 31.03.06 का किया गया था।

उक्त योजना से संबंधित प्राक्कलन एवं मापी पुस्त की जाँच में पाया,गया कि प्राक्कलन में अनुमानित कार्य एवं उस पर किए जाने वाले व्यय से अधिक कार्य दिखाकर अधिक व्यय किया गया था, जबकि 10 प्रतिशत से ज्यादा प्राक्कलन में परिवर्त्तन करने पर पुनः दोबारा प्रशासनिक एवं तकनीकी की स्वीकृति लेनी चाहिए थी, जबकि ऐसा नही किया गया था। इस प्रकार अभिकर्त्ता द्वारा मनमाने तरीके से प्राक्कलन से अधिक कार्य दिखाकर उस पर व्यय किया गया था जो बिना प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति तथा बिना प्राक्कलन संशोधन के मान्य नही है। पूर्ण विवरण परिशिष्ट 'ग' पर संलग्न है।

ऐसी स्थिति में प्राक्कलन के विरूद्ध अधिक कार्य पर किए गए व्यय कुल रू0 2045.85 को आपत्तिन्तर्गत रखा जाता है। अतः प्राक्कलन से अधिक भुगतान की प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किया जाय अन्यथा की स्थिति में प्राक्कलन से अधिक भुगतान राशि वसूली योग्य होगी। इसके प्रतिफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग बिहार पटना को सूचित किया जाय।

कंडिका –15

रू0 6,578.35 का प्राक्कलित कार्य से अधिक कार्य पर किया गया व्यय आपत्तिन्तर्गत :–

विधायक योजनान्तर्गत योजना अभिलेख एवं मापी पुस्त की जाँच में पाया गया कि योजना सं0 19/04–05 (ग्राम खरौम्ध में राजेश कुमार के घर के निकट शौचालय एवं चापाकल निर्माण) अभिकर्त्ता श्री राम स्वरूप यादव पं0 से0 द्वारा कुल प्राक्कलित राशि 35000=00 के विरूद्ध कुल रू0 34979.00 का कार्य कराया गया था, जिसके लिए रॉयल्टी एवं बिक्री दर की राशि 479.00 काटकर कुल रू0 34,500.00 का अंतिम भुगतान दि0 23.07.06 को किया गया था। उक्त योजना से सम्बन्धित मापी पुस्त एवं प्राक्कलन की जाँच में पाया गया कि प्राक्कलन में अनुमानित कार्य एवं उसपर किए जाने व्यय से अधिक कार्य एवं व्यय दिखाकर अधिक भुगतान लिया गया था। जबकि प्राक्कलन से अधिक कार्य कराने एवं उस पर किए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति दोबारा नही लिया गया था, जबकि 10 प्रतिशत से प्राक्कलन में परिवर्त्तन होने पर प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति अनिवार्य है। विस्तृत विवरणी परिशिष्ट –घ पर अंकित है।

अतः ऐसी स्थिति में प्राक्कलित कार्य से अधिक कार्य पर किए गए व्यय की कुल राशि 6578.35 को आपत्तिन्तर्गत रखी जाती है। बढ़े हुए प्राक्कलन की प्रशासनिक एवं तकनीकी सक्षम पदा0 से ली जाय अन्यथा उक्त राशि वसूलनीय होगी। इस कार्रवाई से वित्त (अंकेक्षण) विभाग बिहार–पटना को सूचित किया जाय।

भाग –2

कंडिका –16

रू0 1,13,422.13 का अग्रिम असमायोजित :–

अग्रिम पंजी एवं सामान्य अग्रिम रोकड़ पंजी के जाँच क्रम में पाया गया कि विभिन्न कर्मियों/अभिकर्त्ताओ/वाहन मालिकों/चालकों के यहाँ दि0 31.03.07 को अंत शेष में सामान्य अग्रिम के रूप में कुल रू0 1,09,582.13 एवं ट्रैक्टर अग्रिम के रूप में रू0 15,100=00 यानि कुल रू0 1,24,682.13 लम्बित था, जिसका समायोजन नही किया गया था। लेकिन अंकेक्षण समाप्ति तिथि तक रू0 11,260=00 के समायोजना के पश्चात् कुल रू0 1,13,422.13 अग्रिम के रूप में लंबित पाया गया जिसका पूर्ण विवरण परिशिष्ट 'ड़' पर द्रष्टव्य है।

बिहार कोषागार संहिता भाग–1 के नियम 611 के अनुसार सक्षम पदा0 की स्वीकृति से विभागीय या संबंधित प्रयोजनों के लिए प्रदान किया गया अग्रिम का समायोजन कार्य समाप्ति के पश्चात् अभिश्रव संलग्न कर या राशि की वापसी कर किया जाना अपेक्षित है।

बिहार वित्तीय नियमावली 609(ii) के अनुसार पूर्व की अग्रिम का समायोजन होने के पश्चात् ही अनुवर्त्ती अग्रिम स्वीकृत किया जाना चाहिए ।

निर्गत आपत्ति के अनुपालन बताया गया कि अग्रिम के समायोजन हेतु संबंधित कर्मी को नोटिश निर्गत समायोजन/वसूल की कार्रवाई की जायेगी।

अतः प्रशासी विभाग का ध्यान उक्त अग्रिमों को यथाशीध्र समायोजित कराने हेतु कार्रवाई करने के लिए आकृष्ट किया जाता है। समायोजन की स्थिति से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को भी अवगत कराया जाय।

कंडिका – 17

कुल रू0 10,18,497=61 का अभिश्रव असमायोजित :–

अभिश्रव पंजी की जाँच में पाया गया कि दि0 31.03.07 को कुल रू0 10,18,497.61 का अभिश्रव समायोजन हेतु लम्बित था, जो कि गंभीर वित्तीय अनियमितता है। अभिश्रव की राशि वस्तुतः विचलन द्वारा व्यय होता है और विचलन किसी भी परिस्थिति में अनुमान्य नही है।

बिहार वित्तीय नियमावली के नियम 115 एवं बिहार कोषागार संहिता भाग –1 के नियम 305 एवं 306 में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि निकासी एंव व्ययन पदा0 एक मद् में प्राप्त राशि को दूसरे मद् में व्यय हेतु विचलन कदापि नही करेगे। उक्त राशि योजना मद् की राशि से विचलन कर व्यय किया गया था। व्यय मुख्य रूप से कार्यालय व्यय,

ईंधन,वाहन के राख रखाव इत्यादि में किया गया था। इसके साथ ही यह भी देखा गया कि असमायोजित अभिश्रव की राशि में प्रत्येक वर्ष बढ़ोतरी हो रही है। उदाहरण निम्नवत है। दिनांक 01.04.05 को रू0 8,82,067.10 दि0 02.03.06 को रू0 8,97,544.61 दि0 21.07. 06 को रू0 9,73,370.61 दि0 17.10.06 को रू0 9,97,827.61 दि0 31.10.06 को रू0 10,11,119.61 एवं दि0 31.03.07 तक रू0 10,18,497.61 एवं अंकेक्षण प्रारम्भण तिथि दि0 22.12.09 को रू0 10,63,866.54 पैसे पाया गया। उक्त विवरण से स्पष्ट है कि असमायोजित अभिश्रव के रूप में लगातार राशि की क्रमशः वृद्धि हो रही है। जबकि इसके समायोजन की स्थिति लगभग शून्य पाई गई।

निर्गत आपत्ति के अनुपालन में बताया गया कि असमायोजित अभिश्रव के समायोजन हेतु अतिरिक्त आवंटन की माँग कर समायोजित करने का आवश्यक प्रयास किया जायेगा।

अतः प्रशासी विभाग उक्त असमायोजित अभिश्रवों को शीध्र समायोजित कराने हेतु कार्रवाई करने के लिए ध्यान आकृष्ट किया जाता है। समायोजन की आद्‌यतन स्थिति से वित्त (अंकेक्षण) विभाग बिहार पटना को सूचित किया जाय।

कंडिका – 18

कुल रू0 44,02,860=00 का अग्रिम विभिन्न योजनान्तर्गत असमायोजित :–

विभिन्न योजनाओं से संबंधित योजना अभिलेख ,योजना पंजी, एवं रोकड़ पुस्त के जाँच /सत्यापन में पाया गया कि विभिन्न योजनाओं में दी गई कुल अग्रिम की राशि रू0 44,02,860=00 का समायोजन अंकेक्षण समाप्ति तिथि तक लम्बित पाई गई, जबकि अधिकांश योजनाऐ पूर्ण होने की स्थिति में है।

भारत सरकार द्वारा जारी मार्ग दर्शिका के अनुसार इन्दिरा आवास योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन–बसर करने वाले परिवारों को निःशुल्क आवास मुहैया कराना था लेकिन जिन योजनाओं को तीन माह में पूर्ण करना था, लगभग 4 वर्ष बीत जाने के उपरान्त भी पूरा नही करवाया गया। जब तक आवास पूर्ण नही होता है इसका लाभ ग्रामीणों को नही मिलेगा। अतः योजना अपूर्ण रहने की स्थिति मे लाभार्थी लाभ से बंचित पाए गए। विस्तृत विवरण परिशिष्ट 'च' पर द्रष्टव्य ।

योजनान्तर्गत दी गई अग्रिम राशि निम्नवत पाई गई।

(i) इंदिरा आवास (नव निर्माण)	–	15,73,000.00
(ii) पी0 एम0 जी0 वाई (नव निर्माण)	–	4,99,000.00
(iii) पी0 एम0 जी0 वाई (अपग्रेडेशन)	–	1,18,500.00
(iv) विधायक योजना	–	9,99,260.00
(v) सांसद योजना	–	3,31,700.00
(vi) एस0 जी0 आर0 वाई 30 प्रतिशत	–	8,81,400.00

44,02,860.00

इस प्रकार इन्दिरा आवास (नव निर्माण) योजनान्तर्गत कुल 97,पी0 एम0 जी0 वाई योजनान्तर्गत कुल 54, पी0 एम0 जी0 वाई योजनान्तर्गत कुल 27, विधायक योजनान्तर्गत कुल 16, सांसद योजनान्तर्गत कुल 29 योजना लम्बित पाई गई।

निर्गत आपत्ति के अनुपालन में बताया गया कि आवंटन के अभाव में लाभार्थियों को शेष राशि का भुगतान नही किया जा सका है। जबकि कार्य लगभग पूर्ण की स्थिति में है। संबंधित शीर्ष में आवंटन प्राप्त कर यथाशीध्र समायोजन हेतु उचित कार्रवाई की जायेगी।

अतः प्रशासी विभाग का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि उक्त योजना अंतर्गत भुगतान की गई अग्रिम की राशि के समायोजन की दिशा में कारगार कार्रवाई की जाय एवं इसके प्रति फल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग बिहार पटना को अवगत कराया जाय।

कंडिका– 19

रू0 11,70,070=00 का उपयोगिता प्रमाण पत्र अनुपलब्ध आपत्ति अन्तर्गत :–

शीर्ष 2225 (कल्याण छात्रवृत्ति) के अंतर्गत छात्रवृति मद् में कुल रू0 11,17,070=00 का वितरण विभिन्न पंचायतो को वर्ष 05–06 एवं 06–07 में किया गया था। लेकिन उक्त राशि के व्यय से संबंधित उपयोगिता प्रमाण –पत्र अंकेक्षण में उपलब्ध नही कराया गया, जिससे उक्त राशि के व्यय की सत्यता की जाँच नही की जा सकी । विवरणी परिशिष्ट 'छ' पर अंकित

निर्गत आपत्ति के उत्तर में बताया गया कि शीर्ष 2225 (कल्याण छात्रवृति) मद् में वर्ष 05–06 एवं 06–07 में पंचायतों को दी गई कुल राशि 11,17,070.00 से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजने हेतु सभी मुखिया एवं पंचायत सचिवों को नोटिश निर्गत कर माँग की गई है। उत्तर संतोषप्रद नही है।

अतः प्रशासी विभाग का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि वर्ष 05–06 एवं 06–07 में दिए गए छात्रवृति मद् की राशि को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रखंड कार्यालय को प्राप्त नही कराया जाना नियमानुकूल प्रतीत नही है। इस सम्बन्ध में प्र0 वि0 पदा0 को आवश्यक कारगर कदम उठाना चाहिए था, जब कि ऐसा किया नही पाया गया।

अतः प्रशासी विभाग अपने स्तर से उपयोगिता प्रमाण पत्र मँगाकर उसकी सम्यक जाँचोपरान्त उसके प्रतिफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार पटना को अवगत कराया जाय। जाँच तक इसे आपत्ति अन्तर्गत रखा जाता है।

कंडिका–20

कुल रू0 3,05,151=56 संवरण शेष के रूप में अव्यवहृत राशि के संबंध में :–

विभिन्न शीर्षो के सहायक रोकड़ पंजी एवं सामान्य रोकड़ पंजी के आय व्यय के सत्यापन क्रम में दृष्टिगोचर हुआ कि विभिन्न शीर्षो के अंतर्गत बिना आय–व्यय के अनावश्यक रूप से संवरण शेष के रूप में अंकेक्षण प्रारभ्भण तिथि 22.12.09 कुल रू0 3,05,151=56 अवरूद्ध पड़ा था। उक्त रकम अंकेक्षित अवधि दि0 01.04.05 के पूर्व से ही आज तक पड़ा हुआ है। विवरण परिशिष्ट 'ज' पर संलग्न।

बिहार कोषागार संहिता भाग–1 के नियम 299 एवं 300 एवं वित्त विभाग के ज्ञापांक ए– 3–101/73/10383 दि0 28.09.74 के प्रावधानों के अनुसार कोषागार से राशि की निकासी तत्काल व्यय की आवश्यकता पर ही की जानी चाहिए। आंवटन का प्रत्यार्पण से बचाने के लिए अथवा व्यय की प्रत्याशा में राशि की निकासी कर नकद या बैक में रखना अनियमित है। परन्तु उक्त निदेशों को नजर अंदाज कर एक लम्बी अवधि से कुल रू0 3,05,151=56 का संवरण शेष के रूप में रखा जा रहा है।

निर्गत आपत्ति के उत्तर में बताया गया कि संवरण शेष के रूप में पड़ी हुई राशि के सम्बन्ध में सक्षम पदा0 से उचित दिशा निर्देश प्राप्त कर कोषागार में जमा करने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जायेगी। अनुपालन संतोषप्रद नही था।

अतः प्रशासी विभाग संवरण शेष में अव्यवहृत राशि 3,05,151=56 के संबंध में दिशा निदेश प्राप्त कर कार्रवाई से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार पटना को अवगत कराया जाय।

कंडिका –21

बैंक ब्याज अर्जित राशि की संभावित क्षति :–

ब्याज पंजी का सत्यापन विभिन्न पास बुकों एवं रोकड़ पंजी के साथ सत्यापन क्रम में पाया गया कि विवरणी संलग्न परिशिष्ट 'झ' पर द्रष्टव्य के क्रमांक 02,03,04 एवं 15 को छोड़कर शेष (14–1)13 बचत खाताओं से ब्याज के रूप में कोई राशि न तो प्राप्त किया गया था, और न बैक द्वारा दिया ही गया था। जबकि क्रमांक–10 चालू खाता को छोड़कर शेष बचत खाता में प्रत्येक बैक को प्रति छमाही ब्याज देने का प्रावधन है। बचत खाता में ब्याज की गणना नही होने से अजिर्त राशि की क्षति पाई गई।

अतः प्रशासी विभाग का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि अधिकांश बैकों द्वारा ब्याज नही दिया जा रहा है। अतः बैकों से ब्याज प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाय एवं अनुपालन से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार पटना को अवगत कराया जाय।

(22) (i) रोकड़ के संवरण शेष का भौतिक सत्यापन मासिक नही पाये जाने के संबंध में :–

बिहार कोषागार संहिता भाग–1 के नियम –86 (iv) एवं वित्त विभागीय ज्ञापांक –101/78/1046 दिनांक 14.2.1979 के अनुसार प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को प्रत्येक माह की 15 एवं 30 तारीख को नकद राशि की जाँच कर इस आशय का प्रमाण –पत्र अंकित करेगे कि "राजकोष से निकासी की गयी कोई भी राशि अनावश्यक रूप से एवं राजस्व के रूप में प्राप्त राशि अनावश्यक रूप से नकद स्वरूप नही रखी गयी है।" परन्तु अंकेक्षित लेखावधि में उक्त प्रमाण–पत्र का सवर्था अभाव पाया गया। जिसके लिए लेखापाल एवं निकासी व्ययन पदाधिकारी संयुक्त एवं व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी है।

अतः भविष्य में उक्त नियम का द्वढ़ता से पालन का सुनिश्चित किया जाए।

(ii) कार्यालय का निरीक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध नही कराये जाने के संबंध में :–

वित्त विभागीय ज्ञापंक 1192 दि0 31.3.1984 एवं बिहार पर्षद प्रकीर्ण नियमावली 1958,नियम 80ए (1) के अनुसार कार्यालय प्रधान द्वारा महीने में कम से कम एक बार

अपने कार्यालय का सविस्तार निरीक्षण करना चाहिए और खास कर इस दृष्टि से लेखे की जाँच करनी चाहिए कि लेखे विहित रीति से और विहित पंजियो में रखे गये है या नही। परन्तु अंकेक्षित कार्यालय का संबंधित निरीक्षण प्रतिवेदन अंकेक्षण में उपलब्ध नही कराया गया। जिससे निरीक्षण प्रतिवेदन की समीक्षा का प्रश्न ही नही उठा। साथ ही लेखा का संधारण भी सही ढंग से नही किया पाया गया।

अतः भविष्य में कार्यलय का निरीक्षण प्रतिवेदन अंकेक्षण में निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाए एवं लेखा का संधारण उचित ढंग से किया जाए।

(iii) भंडार पंजी का संधारण नही किये जाने के संबंध में :–

बिहार वित्तीय नियमावली भाग–1 नियम 132 के अनुसार प्रत्येक सामग्री प्राप्त होने पर सामग्रियों की जाँच,संख्या की गणना ,की जाए एवं प्रमाण–पत्र अंकित कर प्राप्त सामग्रियों की प्रविशिष्ट संबंधित भंडार पंजी में की जाए। परन्तु अंकेक्षित लेखावधि में अभिश्रवों पर इस आशय के प्रमाण–पत्र का अभाव पाया गया।

अतः सुझाव है कि भविष्य में उक्त आशय का प्रमाण– पत्र अभिश्रवों पर निशिचत रूप से अंकित किया जाए एवं भंडार पंजी का संधारण कर उसमें प्रविष्टि किया जाए।

लेखा नियंत्रक
वित्त(अंकेक्षण)विभाग,बिहार पटना

मिलान एवं शुद्धिकर्त्ता का हस्ताक्षार

(1)

(2)

परिशिष्ट – 'अ'

(अं0 प्र0 की कंडिका– I 'ञ' से संबंधित)

प्रखंड विकास कार्यालय, सिरदला (नवादा) के लेखा वर्ष 05–06 एवं 06–07 के प्रस्तुत/ अप्रस्तुत अभिलेखों की विवरणी :–

(क) प्रस्तुत अभिलेख :–

1. विपत्र पंजी ,वर्ष 05–06 एवं 06–07
2. सभी शीर्षो का सहायक रोकड़ पंजी
3. सामान्य रोकड़ पंजी
4. असमायोजित अभिश्रव रोकड़ पंजी
5. सामान्य अग्रिम पंजी
6. चालान पंजी (रेमिटेन्स पंजी)
7. आकस्मिकता पंजी, वर्ष 05–06
8. नाजीर रसीद
9. वेतन भुगतान पंजी – (i) शीर्ष 2515 (क) पंचायत स्था0
   (ii) शीर्ष 2515 (ख) सा0 वि0
   (iii) शीर्ष 2505 – एन0 आर0 ई0 पी0
   (iv) शीर्ष 2235 – सा0 सु0
   (v) शीर्ष 2053 – राजभाषा
10. आकस्मिकता अभिश्रव की रक्षी संचिका – (i) शीर्ष 2515(क), 2515(ख) एवं 2505– एन0 आर0 ई0 पी0
11. छात्रवृति भुगतान अभिश्रव की रक्षी संचिका
12. वृद्धापेंशन भुगतान अभिश्रव की रक्षी संचिका
13. बैंक पासबुक एवं चेक पंजी
14. कर्मचारियों का सेवा पुस्त
15. इंदिरा आवास (नव निर्माण) योजना अभिलेख एवं योजना पंजी
16. इंदिरा आवास (अपग्रेडेशन) योजना अभिलेख एवं योजना पंजी
17. प्रधान मंत्री ग्रामीण योजना (निर्माण) योजना अभिलेख एवं योजना पंजी
18. प्रधान मंत्री ग्रामीण योजना (अपग्रेडेशन) योजना अभिलेख एवं योजना पंजी
19. विधायक योजना अभिलेख एवं योजना पंजी
20. सांसद योजना अभिलेख एवं योजना पंजी
21. पार्षद योजना अभिलेख एवं योजना पंजी
22. सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (30%) योजना अभिलेख एवं योजना पंजी
23. एकादश एवं द्वादश वित्त (आयोगग) योजना अभिलेख एवं योजना पंजी
24. नरेगा योजनान्तर्गत अभिश्रव की राशि संचिका
25. एन एफ एफ डब्लू पी0 योजनान्तर्गत अभिश्रव की रक्षी संचिका

26. 2515(क) योजनान्तर्गत अभिश्रव की रक्षी संचिका
27. 2505 – एन आर ई0 पी0 योजनान्तर्गत अभिश्रव की रक्षी संचिका
28. डी0 आर0 डी0 ए0 योजनान्तर्गत अभिश्रव की रक्षी संचिका
29. 2515– पंचायत निर्वाचन से संबंधित भुगतान पंजी एवं अभिश्रव की रक्षी संचिका
30. 2015 – विधान सभा निर्वाचन से संबंधित भुगतान पंजी एवं अभिश्रव की रक्षी संचिक

(ख) अप्रस्तुत अभिलेख

1. गाड़ी का लौग बुक
2. लेखन सामाग्री एवं स्थाई सामानों का भंडार पंजी
3. यात्रा भत्ता भुगतान पंजी एवं कार्यालय विपत्रों की प्रति
4. दूरभाष लौग पंजी
5. एन एफ एफ डब्लू पी0 एवं पी0 एम जी0 वार्ड0 योजना अभिलेख एवं मापी पुस्त (आंशिक)
6. आकस्मिकता पंजी वर्ष 06–07
7. निरीक्षण प्रतिवेदन